

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No...1.6

Dated 26/10/16

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.610** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Jaal band to chilond Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **chilond** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.610** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature



District Magistrate

Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,  
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer (IAS) District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 06.11.16 at time 2:30 PM in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.610 hectare for the construction of Construction of Jaal band to chilond Motor Road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

*Raghu*  
**जिला अधिकारी**

**District Magistrate Cum-Chairman  
District Level Committee  
Rudraprayag, Uttarakhand.**

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ**

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र**

**उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ**

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.210 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) व 0.400 है० राज्य भूमि अर्थात् कुल 1.610 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनांक 03.09.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उत्तम सिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |                                  |                           |                     |            |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1- श्री <u>उत्तम सिंह चौहान</u>  | उपजिलाधिकारी              | <u>ऊखीमठ</u>        | अध्यक्ष    |
| 2- श्री <u>विजयलाल</u>           | उपप्रभागीय वनधिकारी       | <u>ऊखीमठ</u>        | सदस्य      |
| 3- श्री <u>संजीव कुमार पात्र</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>ऊखीमठ</u>        | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>सौजी देवी</u>         | वी०डी०सी० क्षेत्र         | <u>जाला संवत्ता</u> | सदस्य      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.610 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गयी है।

संबन्धित उपप्रभागीय वनधिकारी देवराज नन्द जीव प्रसाद द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.610 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Sanjeev Kumar  
सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
ऊखीमठ (तहसील)  
सहायक समाज कल्याण अधिकारी

विजयलाल  
उप प्रभागीय वनधिकारी  
उपप्रभागीय वनधिकारी  
मोरेवा

03/09/16  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग  
जनपद रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील:- ऊखीमठ,

जिला:- रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद - रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.210 है। आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) व 0.400 है। राज्य भूमि अर्थात् कुल 1.610 है। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18/08/2016 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित आरक्षित (संरक्षित) व राज्य वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिलौण्ड के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित (संरक्षित) व राज्य वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चितौड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक 18/08/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - चितौड़

| क्र.स. | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1      | राजेन्द्र सिंह पुत्र उदय सिंह                    | राजेन्द्र   |
| 1      | कृपाल सिंह पुत्र इयाभ सिंह                       | कृपाल       |
| 2      | भगत सिंह पुत्र हनु सिंह                          | भगत सिंह    |
| 3      | राजेन्द्र सिंह पुत्र देव सिंह                    | राजेन्द्र   |
| 4      | दिलवर सिंह पुत्र चन्द सिंह                       | दिलवर       |
| 5      | प्रदीप सिंह पुत्र चन्द सिंह                      | प्रदीप      |
| 6      | किशान सिंह पुत्र इयाभ सिंह                       | किशान       |
| 7      | गंगा सिंह पुत्र इयाभ सिंह                        | गंगा सिंह   |
| 8      | पूजा देवी पत्नी अनिल सिंह                        | पूजा        |
| 9      | पुष्पा देवी पत्नी विनोद सिंह                     | पुष्पा देवी |
| 10     | मंजू देवी पत्नी विक्रम सिंह                      | मंजू देवी   |

